



सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना (महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार)



दरोगा राय पथ, रोड नं.-2 आर. ब्लॉक, पटना-800001
ई-मेल : support.wdc@bihar.org | दूरभाष नं. : 0612 - 2506078/2506068

सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग की 67 संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को योजना से आच्छादित करने के लिए

आवश्यक सूचना

सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बी.पी.एस.सी. की 67वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को एकमुश्त रु0 50,000/- (रुपये पचास हजार) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. अभ्यर्थी के लिए अर्हता एवं शर्तें :-

- क. बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- ख. अभ्यर्थी बिहार सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में नहीं आनी चाहिए।
- ग. बी.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- घ. किसी भी अभ्यर्थी को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।
- च. पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

2. आवेदन की प्रक्रिया:-

- महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के **website (https://wdc.bih.nic.in/careersaspx)** पर **Login** कर अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 25.12.2022 तक ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगे। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
 - निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति, पिछड़ा वर्ग की श्रेणी की अभ्यर्थी जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), स्वयं के नाम से **Active** बैंक पासबुक (जिसमें खाता संख्या एवं बैंक **IFSC Code** स्पष्ट रूप से अंकित हों) या हस्ताक्षरित रद्द चेक (जिसमें आवेदक का नाम अंकित हो), की **Scanned** प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक होगी। इसके साथ ही **किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं है तथा उनके द्वारा अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है, इस संबंध में 1st Class Judicial Magistrate or Executive Magistrate के स्तर से निर्गत शपथ पत्र की Scanned प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।**
 - अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई-मेल आई.डी. होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना उनकी ई-मेल आई.डी. पर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी ई-मेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे। अद्यतन सूचना के लिए अभ्यर्थी को अपनी ई-मेल नियमित रूप से देखने (चेक करने) की अपेक्षा की जाती है।
 - ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सूचनाएँ सही-सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।
 - यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
- ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25.12.2022 होगी।
- विस्तृत जानकारी बेवसाइट (<https://wdc.bih.nic.in/careersaspx>) पर देखी जा सकती है।
- विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या -0612-2506068 पर संपर्क किया जा सकता है।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार